1.12.17 वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र O 23 R1 CPC पर बहस सुनी गयी। वादी के अभिभाषक ने सिविल न्यायालय में वाद दायर करने के लिये इस वाद को विड्रॉल करने की अनुमति चाही गयी। प्रतिवादी के अभिभाषक ने कोई आपत्ति नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाकर दावा विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)

Scanned by CamScanner